रजिस्टर्ड नं० ल0-33/13-14/93.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 11 अक्तूबर, 1993/19 आश्विन, 1915

श्रम विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 अक्तूबर, 1993

संख्या श्रम(ए) 4-27/93.—भारत के राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत अकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 22/- रुपये से 24/- रुपये प्रतिदिन या 660/- रुपये से 720/- रुपये प्रतिमाह पुनरीक्षित कर दी जाए :—

1. कृषि ।
2. सड़क निर्माण या अनुरक्षण तथा भवन क्रिया ।
3. पत्थर तुड़ाई या पत्थर क्रसिंग ।
4. पब्लिक मोटर ट्रांस्पोर्ट ।

5. वन एवं काष्ठ क्रिया।
6. दुकाने तथा वाणिज्य संस्थान।
7. रसायन तथा रसायनिक उत्पाद।
8. इन्जिनियरिंग उद्योगों।
9. खाद्य एवं पेय पदार्थ।
10. गलीचा व शाल बुनाई।
11. वस्त्र एवं हौजरी उद्योगों।
12. कागज उत्पाद।
13. ईंट भट्ठा उद्योगों।
14. लकड़ी पर आधारित तथा फर्नीचर उद्योगों।
15. चाय बागानों।
16. विनिर्माण प्रक्रिया जो कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (के) में परिभाषित है।
17. मद्य निर्माण शालाओं, शराब कारखानों और अन्य अनुसंगिक प्रचालनों जैसे बोतलें भरने।
18. सीमेंट कारखानों तथा सीमेंट से बनने वाले अन्य उत्पाद।
19. आरा मशीनों।
20. निजी शैक्षणिक संस्थानों।
21. कास्टिंग उद्योगों।
22. चमड़ा उद्योगों।
23. इलैक्ट्रोनिक्स इन्डस्ट्रीज।

2. भारत के राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि उक्त अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत अर्धकुशल, कुशल तथा उच्च कुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की दरें 9.09% बढ़ा दी जाए, परन्तु यह 2/- रुपये प्रतिदिन से कम न हो।

3. भारत के राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि जो मजदूर जनजातीय क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों में कृषि, सड़क निर्माण और अनुरक्षण, वानिकी तथा निर्माण काष्ठ, पत्थर क्रसिंग तथा पत्थर तुड़ान के अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत मजदूरों को क्रमशः 25 प्रतिशत तथा 12½ प्रतिशत की प्रस्तावित पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दरों के अतिरिक्त और बढ़ौतरी की जाएगी। जो मजदूर सुरंगों में कार्यरत हैं, उन्हें पिछले वर्षों की तरह और 20 प्रतिशत की बढ़ौतरी होगी और इसके अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों व पिछड़े क्षेत्रों में मजदूरी क्रमशः 25 प्रतिशत तथा 12½ प्रतिशत की बढ़ौतरी की जाएगी।

4. अतः भारत के राष्ट्रपति, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अनुसरण में इस प्रस्ताव को उन व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित करते हैं जिनकी उक्त प्रस्ताव से प्रभावित होने की सम्भावना है। उक्त प्रस्ताव पर कोई आपत्तियां या सुझाव हों तो उसे श्रमायुक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 को इस प्रस्ताव के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित होने की तारीख से दो महीनों की अवधि के अवसान से पहले विचार के लिए भेजें।

5. प्रस्तावित पुनरीक्षित दरें 14-11-1993 से लागू होंगी।

आदेश द्वारा,

प्रमोद कुमार,
आयुक्त एवं सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।